निर्णय बइजालास मनीषा तिवारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 733/दावा/2018 तारीख दायरा 13.08.2018

उनवान

1. अमरलाल पुत्र धापू बाई (पूरानाथ) जाति नाथ निवासी ग्राम रूण्डलाव तह0 झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज0)
2. सम्पत बाई पुत्री धापू बाई (पूरानाथ) पत्नि मोहननाथ जाति नाथ हाल निवासी पचपहाड तह0 पचपहाड़ जिला झालावाड़ (राज0)
3. रतनबाई पुत्री धापू बाई (पूरानाथ) पत्नि मांगीलाल जाति नाथ हाल निवासी छापीहेड़ा तह0 खिलचीपुर जिला राजगढ़ (मप्र0)
4. मनोहर बाई पुत्री धापू बाई (पूरानाथ) पत्नि राधेश्याम जाति नाथ हाल निवासी भैसोदा तह0 भानपुरा जिला मन्दसौर (मप्र0)
5. सुगन बाई पुत्री धापू बाई (पूरानाथ) पत्नि राधेश्याम जाति नाथ हाल निवासी मोड़क तह0 रामगजमण्डी जिला कोटा (राज0)
6. सुशीला पुत्री धापू बाई (पूरानाथ) पत्नि रमेशनाथ जाति नाथ हाल निवासी रामपुरा जिला मन्दसौर (मप्र0)

—वादीगण

बनाम

1. समस्त नाथान जर्ये मुखिया पंचायत नाथान ग्राम रूण्डलाव तह0 झालरापाटन जिला झालावाड़ (राज0)
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब तह0 झालरापाटन जिला झालावाड़ राज0

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत 91–92(ए) 88–89–63(4)–209 आरटी एक्ट
उपस्थिति– विद्वान अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र शर्मा (वादीगण)
विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल माहेश्वरी (प्रतिवादी)
तहसीलदार तह0 झालरापाटन

निर्णय

निर्णय दिनांक – 18.12.2019

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रूण्डलावा तह0 झालरापाटन जिला झालावाड़ में खाता संख्या नया 342 पुराना 293 की खसरा न0 583 रकबा 4 बिस्वा, खसरा न0 648 रकबा 7 बिस्वा, खसरा न0 652 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा कुल 3 किता को 1 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। जिसमें से खसरा न0 648 एवं 652 को दावे में विवादग्रस्त आराजी बताया है। नकल जमाबन्दी 2072 से 2075 संलग्न की है। ग्राम रूण्डलाव के समस्त नाथान के खातेदारी की पंचायती भूमि है जिसे उस समय के पंचायत मुखिया जगन्नाथ और पंचान गोकुल, भैरूलाल, बिरधीलाल ने नाथान के मन्दिर की टूट–फूट मरम्मत एवं जीर्णोद्धार करवाने के लिए रूपयों की तत्काल सद्भाविक आवश्यकता होने के कारण दिनांक 27.03.1979 को मुबलिग 800 रूपये में रूबरू गवाहन वादीगण को बय कर खरीदारा धापूबाई से गवाहन के सामने प्राप्त कर और गवाहन के सामने ही खरीदारा को मौके पर कब्जा संभला कर दस्तावेज बयनामा समाज के डीड राईटर श्री मोहन लाल नाथ से तहरीर करवा

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज0)

P.T.O

दिया एवं दिनांक 20.03.1979 को रूबरू गवाहन दस्तावेज का पंजीयण खरीदारा के पक्ष में करा दिया था। खरीदारा धापूबाई विवादग्रस्त आराजीयात की खातेदारान समस्त नाथान की तरह खातेदार हो गई। दस्तावेज बयनामे की प्रमाणित फोटोकॉपी पेश की है।

प्रश्नगत आराजी दिनांक 27.03.1979 से खरीदारा धापूबाई के शान्तिपूर्ण एवं अधिकारीपूर्ण कब्जेकास्त में बाद पंजीयण दस्तावेज बयनामा दिनांक 28.03.1979 से बतौर खातेदार टीनेन्ट नाथान समाज ग्राम वासियान और सर्वसाधारण की जानकारी में उनके जीवनकाल में बगैर किसी बाधा के रही और कानूनन खरीदारा धापूबाई का स्टेटस विवादग्रस्त आराजीयात टीनेन्ट का हो गया है। विवादग्रस्त आराजीयात का उपयोग खरीदारा धापूबाई के द्वारा विगत 40 वर्षों से अधिक समय तक खातेदार टीनेन्ट रही। दुर्भाग्यवश धापूबाई के स्वर्गवास हो जाने से विवादग्रस्त राजस्व रिकॉर्ड में उनकी खातेदारी में दर्ज नही हो सकी। इससे धापूबाई के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ता है अपितु उनके वारिसान से वादीगण विवादग्रस्त आराजीयात की सीमा तक लोप हो गया है। उनके नाम विवादग्रस्त आराजीयात की सीमा तक समाप्त हो जाने से उनके नाम डीलिट किया जाकर कम किये जाने योग्य है एवं विवादग्रस्त आराजीयात के खातेदार टीनेन्ट हो गए है। वादीगण के इस आशय की घोषणा करवाने तदनुसार रिकॉर्ड में अमल–दरामद रद्दोबदल करवाने तथा दुरूस्ती करवाने का अधिकार प्राप्त है। छायप्रति सत्य प्रमाणपत्र दिनांक 28.04.2018 दावे के साथ प्रस्तुत है।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की तरफ से वकील श्री बद्रीलाल माहेश्वरी ने वकालत नामा पेश किया गया जो शामिल फाईल किया गया। दिनांक 03.09.2019 को वकील श्री राधेश्याम सुराणा ने प्रतिवादी जगन्नाथ की तरफ से वकालत नामा पेश किया है जो शामिल फाईल किया गया है। प्रतिवादी ने दिनांक 30.09.2019 को स्वीकारात्मक जवाबदावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली में स्वीकारात्मक जवाब दावा प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा तनकियात कायम नहीं की गई तथा पत्रावली एकतरफा साक्ष्यवादी में रखी गई। एकतरफा साक्ष्य वादी में वकीलवादी ने वादी अमरलाल का तस्दीकशुदा शपथ पत्र पेश किया गया। जिसपर वादी ने दस्तागजात का प्रदर्श करवाया तथा वकील प्रतिवादी के जिरहे शून्य रहीं तथा पत्रावली को एकतरफा बहस में रखा गया।

पत्रावली में वकीलवादी की एकतरफा बहस सुनी गई पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब–दावा का अध्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने वाद में अंकित सभी मदों को स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने पर किसी भी प्रकार का ऐतराज एवं उज्र नही किया है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किये जाने पर भी आपत्ति नही की है। उपरोक्त अवलोकन के पश्चात प्रथम दृष्टतया वादी का वाद न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

P.T.O

उपखण्ड अधिकारी

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर फर्द डिक्री किया जाता है तथा आदेश है कि ग्राम रूण्डलाव तहसील झालरापाटन की खसरा नं0 848 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नं0 852 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल 2 जिता की 1 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार टीनेन्ट घोषित किये जाते है। प्रश्नगत आराजीयात में से समस्त नाथान समाज खातेदारान ग्राम रूण्डलाव की खातेदारी से खग की जाकर वादीगण के नाम वादीगण के खातेदारी में दर्ज की जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद किया जावे। फर्द डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन (राज.)
झालावाड

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha Tiwari
Date: 2020.01.03 11:09:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: